Seventeenth Loksabha

>

Title: Issue regarding restriction of scholarship to students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Uttar Pradesh.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना)**:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इंटरमीडिएट के उपरांत उच्चतर कक्षाओं में पठन-पाठन से रोकने के अनुचित कदम के बारे में आपके समक्ष बताना चाहूंगा । पूर्व में उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती रही है, जिसमें किसी भी अंक प्रतिशत की बाध्यता नहीं रही है । लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अब अनिवार्य रूप से 60 प्रतिशत अंक सहित इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होने वाले छात्र को ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है, जो गरीब व मजलूम छात्रों के प्रति एक नकारात्मक कदम है या उनको उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का फैसला है । ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजा**ति** के बहुत छात्र हैं, जो इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन कम अंक लाने के बाद भी उच्चतर कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का काम करते हैं । मेरा विश्वास है कि इस गंभीर विषय पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण फैसले से गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा लेने से ने केवल वंचित होंगे बल्कि राष्ट्र की मुख्य धारा से, विकास में नहीं जुड़ पाएंगे, साथ ही बेरोजगारों की भी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी ।

अत**:** मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों के साथ उपेक्षापूर्ण निर्णय को वापस लेने की मांग रखता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की

जाती है ।